राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :–

दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 430/2021

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ़

– वादी

बनाम

1. आदराम पुत्र सरदाराराम हिस्सा 33/56 जाति जाट निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. दाताराम पुत्र गुमानाराम हिस्सा 23/560 जाति जाट निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. बलवीरसिंह पुत्र गोपालसिंह हिस्सा 23/350 जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
4. मानसिंह पुत्र गोपालसिंह हिस्सा 23/350 जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
5. राजकंवर पत्नि गोपालसिंह हिस्सा 23/350 जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
6. राजेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह हिस्सा 23/350 जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
7. विजयपालसिंह गोपालसिंह हिस्सा 71/5600 जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
8. शुभराम पुत्र गुमानाराम हिस्सा 23/560 जाति जाट निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
9. सन्तोष देवी पत्नि दयानन्द हिस्सा 297/5600 जाट निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः– 430/2021
राजस्थान सरकार बनाम शुभराम आदि
निर्णय दिनांकः– 15.03.2022

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक –15.03.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र, को खुर्द बुर्द नही करें।
(ख) अन्य सिद्वि जो मुफिद वादी हो एवं धारा 289 आ0टी0एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये तामील कुनिन्दा से करवायी गई। प्रतिवादीगण संख्या 03,07,08 बाद तामील रिपोर्ट प्राप्त हुई, शेष प्रतिवादीगण की तामील चस्पानगी एवं डूंडी पिटवायी जाकर करवायी गई। प्रतिवादी की और से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 09 के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल मे लायी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा, फर्द मौका।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेज़ात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 543 रकबा 0.56 है0 स्थित ग्राम पिपली तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, फर्द मौका, प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों के इकबालिया बयान से यह स्पष्ट होता है की ख0न0 543 कुल रकबा 0.56 है0 पर सघंन आबादी बसी हुई । वर्तमान में उक्त खसरा अकृषि कार्यों के लिए काम आ रहा है। अतः उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 177 के तहत कार्यवाही निर्णीत किया जाना विधिसम्मत है। राज पैरोकार ने मौखिक बहस कर संदर्भित भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178(1) के तहत सिवायचक घोषित किया जाकर,

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

खातेदार/कब्जेदार/अतंरक/अंतरिति के बेदखल करने का निवेदन किया। अतः उक्तानुसार गुणावगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सूरजगढ़ को संदर्भित भूमि ख0न0 543 रकबा 0.56 है0 स्थित ग्राम पिपली को राजहक में सिवायचक दर्ज रजिस्टर किए जाने के निर्देश दिए जाते है व साथ ही अप्रार्थीगण को न्यायसंगत विधिपूर्ण समुचित अवसर देते हुए आगामी कार्यवाही अमल में लाए जाने के निर्देश दिए जाते है।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन सहायक कलेक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 15-3-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन सहायक कलेक्टर
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 430/2021
राजस्थान सरकार बनाम शुभराम आदि
निर्णय दिनांकः– 15.03.2022

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :–
राजस्व वाद सं.– 430/2021 दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)
निर्णय दिनांक :–**15-03-2022**

राजस्थान सरकार बनाम शुभराम आदि

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से **सरकारी पैरोकार** व प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **15-03-2022** को **दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होनें पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

–:: आदेश::–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 543 रकबा 0.56 है0 स्थित ग्राम पिपली तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, फर्द मौका, प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों के इकबालिया बयान से यह स्पष्ट होता है की ख0न0 543 कुल रकबा 0.56 है0 पर सघंन आबादी बसी हुई । वर्तमान में उक्त खसरा अकृषि कार्यों के लिए काम आ रहा है। अतः उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 177 के तहत कार्यवाही निर्णीत किया जाना विधिसम्मत है। राज पैरोकार ने मौखिक बहस कर संदर्भित भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178(1) के तहत सिवायचक घोषित किया जाकर, खातेदार/कब्जेदार/अतंरक/अंतरिति के बेदखल करने का निवेदन किया। अतः उक्तानुसार गुणावगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सूरजगढ़ को संदर्भित भूमि ख0न0 543 रकबा 0.56 है0 स्थित ग्राम पिपली को राजहक में सिवायचक दर्ज रजिस्टर किए जाने के निर्देश दिए जाते है व साथ ही अप्रार्थीगण को न्यायसंगत विधिपूर्ण समुचित अवसर देते हुए आगामी कार्यवाही अमल में लाए जाने के निर्देश दिए जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15-3-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ